



2026:AHC:50623

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 885 वर्ष 2026

सभाजीत

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राम जीत मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"(ए) मेंडमस की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह यूपी. समेकन और जोत अधिनियम, 1953 (सभाजीत और अन्य बनाम दुखरण और अन्य) की धारा 11 (1) के तहत अपील संख्या 0885 (कम्प्यूटरीकृत अपील संख्या 202554143600000885) पर, जो आज तक उसके समक्ष विचारार्थ लंबित है, एक निश्चित/निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय ले।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. ऊपर बताए गए संदर्भ को देखते हुए, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय इस वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है, ऐसा करते समय, न्यायालय याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वह उक्त मामले का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार करे, यह निर्णय एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से दिया जाना चाहिए जिसमें संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए और किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए यह प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए, और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से **दस महीने** की अवधि के भीतर संपन्न होनी चाहिए।

5. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम रूप से **निपटारा** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,)

12 मार्च, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।